न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 07/ 20 वर्ष 2020
जीसीएम संख्या :–2020/00061
बउनवानी:– 1. विष्णु पुत्र स्व0 सीताराम ब्राहामण निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
2. हरिओम पुत्र स्व0 सीताराम ब्राहामण निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
3. हनुमान पुत्र स्व0 सीताराम ब्राहामण निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. शिवदयाल पुत्र घांसी जााति कुम्हार निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत शिवाड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड

(निगरानी विरूद्व मिसल संख्या 32 मे पारित निर्णय दिनांक 5.6.2019 की पालना मे जारी पटटा संख्या 47 दिनांक 24.6.2019 ग्राम पंचायत शिवाड अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील प्रार्थी
2. श्री मुकेश बंसल वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 27.3.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड द्वारा मिसल संख्या 32 मे पारित निर्णय दिनांक 5.6.2019 की पालना मे जारी पटटा संख्या 47 दिनांक 24.6.2019 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी अपील व बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेशस एवं पटटा रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को मुगालदा देने के लिए पेश कर कहॉ कि उसके हक मे फैसला हो गया है एवं पत्रावली को निर्णय के लिए लगाया जावे। जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की ऑडरशीट दिनांक 5.1.2018 को पढने से ज्ञात होता है। तत्पश्चात पत्रावली में दिनांक 5.5.2018 तारीख पेशी नियत की गयी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को गलत तथ्य रखकर प्रोसिडिंग को आगे बढाया गया है जबकि विपक्षी संख्या 1 को इस संबंध में पूर्णतया ज्ञात था कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 12.5.2016 की अपील न्यायालय अति0 जिला जज साहब सवाईमाधोपुर के न्यायालय में जैरकार है जिसमे आगामी ताारीख पेशी दिनांक 19.3.2020 नियत है एवं जिसमे दिनांक 6.9.2017 को अपीलेट कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इस तथ्य को छिपाया गया है एवं गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने आंख मूंदकर निर्णय जैरे निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत अधिनियम एवं रूल्स की कोई पालना नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने 1451.625 वर्गफीट का पटटा विपक्षी संख्या 1 नाम जारी करने के आदेश दिया गया है जबकि इतनी भूमि बाबत ग्राम पंचायत को आदेश देने का कोई अधिकार ही नही था। इसके अलावा भी यह निवेदन है कि दिनांक 5.3.2019 को मौका दिखाने बाबत ऑर्डरशीट में इन्द्राज है किन्तु ऑडरशीट में यह कही भी दर्ज नही है कि मौका कौन देखेगा, ना ही मौका देखने बाबत कोई फीस अधीनस्थ न्यायालय में जमा हुई है। निगरानीगुजारान के पिता सीताराम द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व एक दावा बाबत

.....(1).....

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे पेश किया गया था जिसमे संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार आम रास्ता मुख्य बाजार शिवाड से लगते हुए निगरानीगुजार का चबूतरा दिखाया गया है एवं चबूतरे के लगते हुए मार्क एल,के,एन,ई, कच्चा घर कोल्हूपोस निगरानीगुजार का दिखाया गया है। इस सम्पूर्ण कच्चे घर को न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा निगरानीगुजार के कब्जे व स्वामित्व का बताया गया है जिसके खिलाफ कोई अपील विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी न्यायालय में पेश नही की गयी है। इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 ने मनमाने तरीके से नक्शा पेश करके उक्त स्थान पर अपना चबूतरा दिखाते हुए उक्त स्थान को मार्क सी एवं तत्पश्चात पश्चिमी की ओर आगे बढते हऐ मार्क डी व मार्क ई से अपने कब्जे व स्वामित्व की भूमि दिखाकर ग्राम पंचायत से पटटा प्राप्त करने का निर्णय प्राप्त कर लिया जो प्रार्थीगण की भूमि है। जहॉ प्रार्थीगण का चबूतरा बना हुआ है उसका पटटा व नक्शा वर्ष 1993 में निगरानीगुजार के पक्ष में जारी किया गया है जिसके अनुसार उक्त स्थान पर निगरानीगुजार का चबूतरा दर्शित है, जब पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय निगरानीगुजार का चबूतरा मानते हुए आदेश पारित कर चुका तो पुनः उसी स्थान बाबत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पटटा जारी करने का आदेश दिया जाना विधिविरूद्व है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय एवं पंचायत समिति में लिखित शिकायत दी जाकर अवगत करवाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से मुकदमा न्यायालय पेण्डिगं होते हुए व स्थगन होते हुए भी कार्यवाही की जा रही है जिसे रोका जावे। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी की जानकारी दिनांक 8.2.2020 को विपक्षी के यह कहने पर प्राप्त हुई है कि उसने उक्त भूमि का पटटा ग्राम पंचायत से ले लिया है अब वह निर्माण करेगा। आदेश जैर निगरानी की नकल प्राप्त होने पर जानकारी सें अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस एवं प्रस्तुत लिखित बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत शिवाड के यहॉ प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर उन्होने नियमानुसार मौका देखकर कब्जा रिपोर्ट तैयार कर प्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी किया है तत्समय किसी भी न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नही था ओर ना ही प्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाये गये है, प्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा देखकर ही प्रार्थी के पक्ष मे नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। निगरानीगुजरान के पिता सीताराम द्वारा प्रार्थी के विरूद्व दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सिविल न्यायालय सवाईमाधोपुर के यहॉ पेश किया गया था यह कथन पूर्णत सत्य है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी के मद संख्या 5 मे यह लिखना की दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा के आम रास्ता मुख्य बाजार शिवाड से लगते हुए निगरानीगुजार का चबूतरा दिखाया गया है एवं चबूतरे के लगते हुए मार्क एल.के.एम.ई. कच्चा घर कोल्हूपोश बताया गया है एवं सम्पूर्ण कच्चे घर को न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा निगरानीगुजार के कब्जे व स्वामित्व का बताया गया है इसके बारे मे प्रार्थी का कहना है कि सिविल न्यायाधीश स0मा0 के यहा दावे के साथ संलग्न के.एल.एम.ई.कच्चा कोल्हूपोश निगरानीगुजार का है जिसके संबंध मे प्रार्थी द्वारा कोई भी आपत्ति सिविल न्यायालय मे पेश नही की है ओर उक्त कोल्हूपोश प्रार्थी का ही बताया था इसलिए सिविल न्यायालय ने उक्त कोल्हूपोश निगरानीगुजार का माना है। निगरानीगुजार का यह कहना गलत है कि कोल्हूपोश के बाद का

.....(2).....

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

चबूतरा निगरानीगुजार का है। प्रार्थी ने सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब में निगरानीकार द्वारा स्पष्ट लिखा है कि कोल्हूपोश के बाद जो चबूतरा है उसको दो भागो मे बांटा पूर्वी वाला भाग जो कि एम.ई.एक्स.वाई. मार्क से दिखाया गया है (नजरी नक्शा सिविल न्यायाधीश स0मा0 दावे मे) को प्राथी का बताते हए उसके लिए काउण्टर क्लेम किया कि एम.ई.एक्स.वाई. चबूतरा प्रार्थी का है ओर निगरानीगुजार को पाबंद किया जावे कि उसके उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले जिसपर सिविल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश मे यह माना कि प्रार्थी शिवदयाल का काउण्टर क्लेम विरूद्व निगरानीगुजार बाबत स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर निगरानीगुंजार को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के जवाब दावे के विशेष चरण संख्या एक में विर्णत तथा जवाब दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे मार्क एम.ई.एक्स.वाई से दर्शित चबूतरे का प्रार्थी द्वारा किये जा रहे शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे बाधा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना करे नाही अन्य से करावे। निगरानीगुजार द्वारा अपने निगरानी के मद संख्या 5 मे यह कहना कि विपक्षी संख्या एक प्रार्थी ने मनमाने तरीके से नक्शा पेश करके उक्त स्थान पर उपरोक्त चबूतरा दिखाते हुए ग्राम पंचायत मे पेश नक्शे मे उक्त स्थान को ओ.मार्क सी एवं तत्पश्चात पश्चिमी की ओर आगे बढते हुए मार्क डी ब मार्क ई से अपने कब्जे व स्वामित्व की भूमि दिखाकर पटटा प्राप्त करने का निर्णय प्राप्त कर लिया है इसके जवाब मे प्रार्थी का कहना है कि सिविल न्यायालय ने दोनो पक्षो की साक्ष्य व दस्तावेज देखकर अपने आदेश मे उक्त चबूतरी को प्रार्थी का माना है जो निर्णय अभी तक भी बहाल है एवं किसी भी न्यायालय से किसी प्रकार का आदेश नही था इसलिए उक्त पटटा प्रार्थी के पक्ष मे विधिवत जारी किया गया है। 1973 के पटटे मे उक्त स्थान पर चबूतरा नही दिखाया गया है ओर ना ही यह लिखा हुआ है कि यह चबूतरा निगरानीगुजार का है एवं मकान की जो नाप उसी का पटटा जारी हुआ है। सिविल न्यायालय द्वारा उक्त चबूतरा प्रार्थी का ही माना है। अतः आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर निगरानी पारित करने पर पूर्व सभी कार्यवाही यथा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट रिकार्ड पर ली जाकर एवं सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.5.2016 के परीक्षण उपरान्त जारी किया गया है। जहॉ तक सिविल कोर्ट का स्थगन होने के बावजूद पटटा जारी करने का प्रश्न है तो उक्त संबंध मे प्रार्थी संबंधित न्यायालय मे अवमानना की कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पटटे से संबंधित भूमि को लेकर बार–बार विभिन्न न्यायालयों मे वाद पेश करना उचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner